

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम बबराणा तहसील बनेड़ा

पीठासीन अधिकारी - श्री रामचन्द्र मीणा

(आर.ए.एस.)

75/2016

उनवान

1. महादेव पिता रुघनाथ जाट(खन्दा) निवासी घरटा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

(प्रार्थी)

बनाम

- 1 हीरा पिता देवकरण जाट निवासी घरटा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 2 रानकरण पिता जगनाथ जाट निवासी घरटा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 3 बन्ना पिता लक्ष्मण जाट निवासी घरटा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 4 लालु पिता देवी जाट निवासी घरटा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 5 हीरा पिता मांगु जाट निवासी घरटा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 6 बालु पिता धन्ना जाट निवासी घरटा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 7 बालु पिता देवी ढोली निवासी घरटा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 8 मंगना पिता प्रताप जाट निवासी घरटा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 9 गोपाल पिता प्रताप जाट निवासी घरटा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 10 मीदू पिता नामालूम कलाल निवासी घरटा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 11 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक - 11.07.2016

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 11.07.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सम्वत 2070 से 2073 की जमाबंदी अनुसार वाके ग्राम घरटा पटवार क्षेत्र घरटा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र डाबला तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 306 के आ0न0 298, 368/1, 369/1, 1205/1, 1364 कुल किता 05 कुल रकबा 06-10 बीघा स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बबराणा में दिनांक 11.07.2016 को पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण द्वारा राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होकर कोई आपत्ति नही होना बताया। इस प्रकार विपक्षी की ओर से कोई उजरदारी पेश नही होने से स्पष्ट हैं कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के विरुद्ध उनकी ओर से कोई आपत्ति नही हैं।

प्रस्तुत वाद के पक्ष पर पक्षकार को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवादित प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः लोक अदालत की भावना से प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं।

:: आदेश ::

ग्राम घरटा पटवार क्षेत्र घरटा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र डाबला तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 306 के आ0न0 298, 368/1, 369/1, 1205/1, 1364 कुल किता 05 कुल रकबा 06-10 बीघा की पत्थरगढ़ी बशामलात पक्षकारान तहसीलदार बनेड़ा करावे। प्रार्थी इस कार्य के लिए भू0अ0नि0 की कमिश्नर फीस 700/- रूपये पत्थरगढ़ी के समय मौके पर जमा करावे। राशि जमा होने पर विधिवत पत्थरगढ़ी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प बबराणा में सरे इजलास सुनाया गया।



(रामचन्द्र मीणा)

उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

कि महादेव